निर्णय बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

वाद संख्याः— 119 / 2020

छोटूलाल पुत्र हीरालाल जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद। —प्रार्थी—

—बनाम—

1. कुन्जबिहारी पुत्र रामा जाति माली निवासी श्यामपुरा तह० सांगोद जिला कोटा हाल नयाखेडा कोटा मेनाल होटल के पीछे कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2. रामशंकरी पुत्री रामा पत्नि जाति माली निवासी श्यामपुरा तह०सांगोद जिला कोटा हाल निवासी जिठानी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. चेतनकुमार पुत्र हरिमोहन जाति माली निवासी मिर्जापुर तह०अन्ता जिला बारा
4. प्रेमशकर पुत्र हरिमोहन जाति माली निवासी मिर्जापुर तह०अन्ता जिला बारा
5. राजेन्द्रकुमार पुत्र हरिमोहन जाति माली निवासी मिर्जापुर तह०अन्ता जिला बारा
6. सुनिता पुत्री हरिमोहन पत्नि उमाशंकर जाति माली निवासी मिर्जापुर तह०अन्ता जिला बारा हाल निवासी ताखाजी मोहल्ला सांगोद तह० सांगोद जिला कोटा
7. पुष्पा पत्नि मांगीलाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तह० सांगोद जिला
8. जोधराज पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद
9. प्रेमशंकर पुत्र रामगोपाल जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद
10. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामगोपाल जानि धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद
11. लुकलेश पत्नि हरिशंकर जाति धाकड निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद
12. गोपाली पुत्री रामचन्द्र पत्नि शंकरलाल जाति माली निवासी श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी मामोर झोपडिया तहसील कनवास जिला कोटा
13. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा साद तह० सांगोद जिला
14. आई सी आई सी आई बैंकलिमिटेड शाखा कनवास तह० कनवास जिला कोटा
15. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा। —अप्रार्थीगण—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :—
श्री मोहनलाल पोटर(वकील प्रार्थी)
श्री जितेन्द्र नागर (प्रति.कं.5,11)
श्री रामप्रसाद नागर (प्रति.कं. 7,8,9,10)
श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (प्रति.कं.12) 13)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि :—

- प्रार्थी के सामलाती खाते की एवम् प्रार्थी के कब्जे काश्त की हिस्से आराजी माल ग्राम श्यामपुरा तह०सांगोद जिला कोटा की खेवट खतोती संख्या नई 105 पुरानी 143 की अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नं. 166 की 0.50 हेक्टर, खसरा नं.167 की 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 168 की 0.56 हेक्टर, खसरा नं.169 की 0.28 हेक्टर, खसरा नं.170 की 0.59 हेक्टर कुल किता 5 की कुल 1. 94 हेक्टर आराजी स्थित है, जिसमे खसरा नं. 167 की आराजी में प्रार्थी का कुआ ट्यूबवेल व खलिहान व जानवरो व कृषि उपज रखने हेतु टापरी बनी हुई है।

- प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात मे करीब 40 वर्षो से प्रार्थी स्वय काश्त करता चला आ रहा है व इससे पूर्व प्रार्थी के पिता काश्त करते आ रहे थे।

- प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी मे आने जाने के लिए माल ग्राम श्यामपुरा के खसरा नं. 145 की उत्तरी मेड पर से खसरा नं. 143 की उत्तरी मेड पर से तथा खसरा नं. 147 की दक्षिणी मेड व खसरा नं. 142 की उत्तरी मेड से खसरा नं.148 की पूर्वी मेड पर होते हुए प्रार्थी अपने खेत व कुए पर आता जाता रहा है तथा इसी रास्ते से ही प्रार्थी अपने कृषि यन्त्र हल कुली बेल गाडी ट्रेक्टर ट्रोली इत्यादि सामान ले जाता रहा है, ओर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता भी प्रार्थी के खेत तक आने जाने के लिये नही है।

- ग्राम पंचायत श्यामपुरा द्वारा उक्त माल ग्राम श्यामपुरा खसरा नं. 142, 143, 145, 146, 147, 148 की मेड पर होते हुए रास्ते को आने जाने का रास्ता मानकर अन्यत्र कोई रास्ता नही होना मानते हुए श्यामपुरा ग्राम पंचायत सरपंच साहब व सभी पंचो व कोरम द्वारा दिनांक 6/5/2007 को निर्णय पारित फरमाया हुआ हे जिसमे प्रार्थी ब्रजेश योगी को रास्ता दिया है अप्रार्थी 1 ता 12 के खसरा नं. 142, 143, 145, 147, 146, 148 की मेड पर होते हुए रास्ता मानकर निर्णय पारित किया है निर्णय की प्रति संलग्न है।

• प्रार्थी ने अपनी आराजी को मुनाफे से अप्रार्थीगण को नही जुपाने से रजिंश की वजह से अप्रार्थीगण 1 ता 12 प्रार्थी से रंजिश रखने लग गये हैं ओर रास्ते से निकलने से मना करते हैं ओर प्रार्थी के वर्षों पुराने रास्ते को बन्द करने की कोशिश करते है।

• प्रार्थी गरीब व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण राजनेतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं। प्रार्थी के ट्रेक्टर ट्रोली व खेती करने के अन्य संयन्त्र कम्बाईनड इत्यादि को रास्ते से निकलने से मना करते हैं अप्रार्थी 1 ता 12 ने रास्ते से निकलने वाले को मारने की धमकिया देने लग हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण 1 ता 12 से रास्ते को खुलासा रखने की कही इस पर अप्रार्थीगण 1 ता 12 एक राय होकर प्रार्थी को नही निकलने की धमकी दी है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत के निर्णय की कही तो सभी ने कहा ऐसे फैसले बहुत देखे हैं। तुझे यहा से नही निकलने देगे यदि कोई भी निकला तो जान से मार देगें। यदि अप्रार्थीगण 1 ता 12 ताकत व राजनेतिक प्रभाव से जबरन प्रार्थी के एक मात्र रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तो प्रार्थी की आराजी पडत रह जायेगी और प्रार्थी के बच्चे भूखे मर जायेगे।

• अप्रार्थी नं. 13 व 14 के भूमि रहन होने व भूमि की किस्म परिवर्तन व खातेदारी राजस्थान सरकार की दर्ज होने हेतु सहमति की आवश्यकता होने से पक्षकार बनाया है ओर कोई रिलिफ नही चाही गई है तथा खसरा नं. 148 मे अप्रार्थी 12 ही काबिज काश्त है तथा अन्य सहखातेदारान से न्यायालय से डिक्री स्वयं के नाम हो चुकी हैं। इसलिए अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नही बनाया है।

• अप्रार्थी नं. 15 भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया गया हे भूमि कि किस्म परिवर्तन मे भूमिधारी को पक्षकार बनाने की आवश्यकता होने से पक्षकार बनाया गया है ओर कोई रिलीफ नही चाही गई है।

• प्रार्थी की आराजी व रास्ता माल ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार व श्रवणधिकार प्राप्त होने से अवधि मध्य उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

• प्रार्थना पत्र का वाद कारण दिनांक 24.06.2019 को अप्रार्थी गण 1 ता 12 द्वारा प्रार्थी के एक मात्र रास्ते को बन्द करने की धमकी देने से उत्पन्न हुआ।

• प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 की आराजी मे आने जाने से माल ग्राम श्यामपुरा के खसरा नं. 143 की उत्तरी मेड पर से तथा खसरा नं. 145 की उत्तरी मेड पर से खसरा नं. 147 की दक्षिणी मेड व खसरा नं.142 की उत्तरी मेड के सहारे से होते खसरा नं. 148 की पूर्वी मेड पर से अप्रार्थी 1 लगायत 12 प्रार्थी को आने जाने ट्रेक्टर ट्रोली व कृषि यन्त्र निकालने मे बाधा उत्पन्न नही करे ऐसा ना तो स्वयं करे न ही अपने रिश्तेदारो व नोकरो व एजेन्टो से करावे, किसी परिचित से करवाने का प्रयास करें। यदि दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण 1 ता 12 प्रार्थी के रास्ते को बन्द कर दें तो रास्ते को खुलासा करने की भी कृपा करे।

• अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपने माल ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा की खेवट संख्या नई 105 पुरानी 143 की अन्य खसरा नम्बरान के साथ खसरा नं. 166 की 0.50 हेक्टर, खसरा नं. 167 की 0.01 हेक्टर, खसरा नं. 168 की 0.56 हेक्टर, खसरा नं.169 की 0.28 हेक्टर, खसरा नं.170 की 0.59 हेक्टर कुल किता 5 की कुल 1.94 हेक्टर आराजी स्थित है, जिसमे खसरा नं. 167 की आराजी मे प्रार्थी का कुआ ट्यूबवेल व खलिहान व जानवरो व कृषि उपज रखने हेतु टापरी बनी हुई है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार रेवेन्यू रेकार्ड मे माल ग्राम श्यामपुरा खसरा नं. 143 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे से तथा खसरा नं.145 की उत्तरी मेड पर से खसरा नं. 147 की दक्षिणी मेड के सहारे से व खसरा नं. 142 उत्तरी मेड के सहारे खसरा न. 148 की पूर्वी मेड के सहारे की 12 फुट चोडाई की भूमि जो रास्ते के रूप मे है। उस रास्ते की आराजी की किस्म परिवर्तित कर गेर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने की कृपा करे। अप्रार्थी 1 लगायत 12 प्रार्थी को अपनी आराजी में आने जाने ट्रैक्टर ट्रोली व कृषि यन्त्र निकालने मे बाधा उत्पन्न नही करे ऐसा ना तो स्वयं करे न ही अपने किसी परिचित से करवाने का प्रयास करें। यदि दौराने प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण 1 ता 11 प्रार्थी के रास्ते को बन्द कर दे तो रास्ते को खुलासा करवाने की भी कृपा करे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी अप्रार्थी कं. 6 व 11 ने इकबाली जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। अप्रार्थी कं. 7 लगायत 10 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्यतः यह निवेदन किया कि छोटूलाल प्रार्थी ने उसके शामलाती खाते की

मद संख्या 1 में वर्णित भूमियों पर आवागमन करने का मौके पर मेलखेडी सडक डामर रोड से रामलाल बैरवा, रामावतार बैरवा, कृष्णमुरारी, ओमप्रकाश व दीपक माली निवासीगण ग्राम श्यामपुरा के खेतों के मध्य होकर कई वर्षों से मौके पर कायम रहते हुये भी संलग्न पुलिस परिवाद पत्र के मुताबिक बृजेश योगी नामक व्यक्ति के बहकावे में आकर नया रास्ता लेना चाहता है। उक्त संबंध में छोटूलाल व हम अप्रार्थीगण के बीच कभी किसी प्रकार का विवाद भी नहीं हुआ है। उक्त आधार पर मौके पर मेलखेडी डामर रोड से छोटूलाल सहित शामलाती खातेदारों के खाते की भूमियों तक आवागमन करने का रास्ता मौजूद रहते हुये प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मुताबिक नया रास्ता खसरा नंबर 142, 143, 145, 146, 147, 148 की मेडों पर होकर कायम कराया जाना सर्वथा अनुचित है तथा उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 क आरटीएक्ट की परिधि में न आने से कानूनन मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीएक्ट का भी यही जवाब माना जाकर उक्त प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी कं. 14 बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय बैंक शाखा सांगोद द्वारा इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अभिवचनों में मामला सुखाधिकार से संबंध रखता है जिसमें धारा 251 क के प्रावधान लागू नहीं होते हैं तथा सुखाधिकार के संबंध में माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है। अप्रार्थीगण का निवेदन है कि यदि रहन रखी भूमि के बारे में किसी भी प्रकार की भूमि की कीमत दिलायी जावे तो उक्त रकम ऋण राशि में नगद रखाया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी कं. 15 राज्य सरकार की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद द्वारा जवाब मय मौका रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में मौका देखा गया। माल ग्राम श्यामपुरा के खसरा नंबर 170 रकबा 0.59 के खातेदार छोटूलाल पुत्र हीरालाल के धारा 251 क के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन प्रकरण में रास्ता चाहने बाबत मौके पर उपस्थित होकर मौके देखा। उपस्थित खातेदार द्वारा एवं ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि खसरा नंबर 145 की उत्तरी, खसरा नंबर 143 की उत्तरी, खसरा नंबर 142 की उत्तरी तथा खसरा नंबर 148 की पूर्वी मेड पर होकर अपनी आराजी खसरा नंबर 170 पर आता जाता

रहा है। उक्त रास्ते की दूरी रिकार्ड अनुसार 240 मीटर लगभग है। साथ ही अन्य रास्ता मौके पर आराजी खसरा नंबर 173 खातेदारी तक बना हुआ है जो खसरा नंबर 170 के उत्तरी–पूर्वी कोने से मौके पर 117 मीटर तथा रिकार्ड में लगभग 117 मीटर दूरी पर है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रकरण में तहसीलदार सांगोद द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व मौका रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है कि प्रार्थीगण के पास अपनी आराजी में आवागमन करने का विवादग्रस्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर आदेश पारित किये जाते हैं कि माल ग्राम श्यामपुरा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 145 रकबा 0.18 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर उत्तरी, खसरा नंबर 143 रकबा 1.02 हैक्टर में से 0.02 हैक्टर उत्तरी, खसरा नंबर 142 रकबा 0.46 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर उत्तरी, खसरा नंबर 148 रकबा 1.22 में से 0.02 हैक्टर पूर्वी आराजी को गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। उक्त भूमि को राजकीय खाते में गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किया जावे तथा उक्त रास्ते में होकर प्रार्थीगण के आवागमन में अप्रार्थी कं. 1 लगायत 12 किसी प्रकार से मदाखलत, मजामहत, क्षति, बाधा कारित नहीं करें। तहसीलदार सांगोद प्रचलित डीएलसी दर से उक्त रास्ते की उक्त हैक्टर भूमि की दौगुनी 2,21,760/– रूपये प्रतिकर राशि प्रार्थी से वसूल कर अधिग्रहित भूमि के खातेदारों को भुगतान करावे। अदमप्राप्ति प्रतिकर राशि उक्त रकम G.A.- 55 में जमा करवाने के आदेश फरमाये जावें। तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर मौके पर रास्ता खुलासा कर प्रार्थी का आवागमन बहाल करे। तदनुसार तहसीलदार सांगोद पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रेषित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को खुले न्यायालय मे मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।